रजिस्ट्री सं० डी.एल.--33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

## असाधारण
## EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड ( ii )
Part II--Section 3--Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472 ] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 7, 1995/श्रावण 16, 1917
No. 472] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 7, 1995/SRAVANA 16, 1917

### नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
### ( नागरिक पूर्ति विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, अगस्त 7, 1995

का.आ. 708(अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन अहमदाबाद काटन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, अहमदाबाद द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किए गए आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसिएशन को कपास में अग्रिम संविदा के बारे में 31 जुलाई,1995 से 31 मार्च, 1996 (जिसमें ये दोनों दिन शामिल हैं) तक के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एसोसिएशन ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएंगे ।

[फा. सं. 12/14/आईटी/93]
सुजीत बनर्जी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

**(Department of Civil Supplies)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 1995

S.O.708(E).--The Central Government, having considered, in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Ahmedabad Cotton Merchants Association, Ahmedabad and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Association from the 31st July, 1995 to 31st March, 1996 (both days inclusive) in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions, as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[File No. 12/14/IT/93]
SUJIT BANERJEE, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 • 1995